

<b>छत्तीसगढ़ संवाद</b> (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था) <b>नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर</b> <b>जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़</b>	
<b>छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न शहरों में शासन की विभिन्न योजनाओं का सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार (द्वितीय निविदा आमंत्रण ) हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के एम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें</b>	
क्र.	नियम एवं शर्तें
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न शहरों में शासन की विभिन्न योजनाओं का सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग (विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के स्वामित्व में स्थापित सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु दर निर्धारण एवं एम्पैनलमेंट हेतु निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।
2	विज्ञापन एजेंसी को स्वयं के स्वामित्व के विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन प्रदर्शन का ही दर देना होगा किसी अन्य व्यक्ति संस्था से जॉइंटवेंचर / फेंचाइजी/कंसोर्टीयम मान्य नहीं होगा।
3	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) को चौक चोराहों पर लोहे के पोल पर खड़ा होना चाहिए जिसकी जमीन से न्यूनतम हाइट 22 फिट(ट्रैफिक एवं नेशनल हाइवे द्वारा निर्धारित ऊंचाई) तक होना चाहिए। जिसमें सिग्नलों के साथ साथ विज्ञापन बोर्ड का निर्माण किया हुआ होना चाहिए। उक्त विज्ञापन बोर्ड में ग्लोसाईन बोर्ड (बैक लिट मीडिया) लगा हो जो कि केन्टीलिवर को दोनों तरफ से एवं लालीपॉप मीडिया को चारों तरफ से दिन एवं रात में प्रदर्शित कर सके।
4	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2020-21 का न्यूनतम 25 लाख रुपए का विज्ञापन एजेंसी को प्रचार -प्रसार कार्य से संबंधित टर्न ओवर होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5	एजेंसियों को छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, Assessment Year 2021-22 का आयकर रिटर्न की प्रतियाँ ,माह मार्च-2022 का जीएसटी रिटर्न कि प्रति प्रस्तुत करना होगा।
6	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:-  Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Axis Bank Ltd. Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 139010100021669 IFSC Code No. : UTIB0000139
7	एजेंसी को सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) से संबंधित कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। साक्ष्य हेतु शासकीय अथवा निजी संस्था का कार्यानुभव/ कार्य संपादन, सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
8	प्रचार- प्रसार हेतु उपयुक्त मीडिया कि न्यूनतम साइज़ केन्टीलिवर का (5'x3') feet एवं गर्दन एवं पैदल पथ सूचक पर लाली पॉप बोर्ड की साइज़ 3' x 4'x4 feet का होना अनिवार्य है।
9	एजेंसी के पास स्वयं के स्वामित्व में जिला मुख्यालय एवं विकासखंड दोनों मिलाकर कम से कम प्रमुख शहरों में 10 नग वैध सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) होना अनिवार्य है।
10	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।

11	स्वयं के स्वामित्व वाले सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) का नगर पालिक निगम, रायपुर/अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था से जारी वैध सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति पत्र सलग्न करना होगा।
12	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्निकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
13	निविदा में प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरो में कार्य करने में सहमत योग्य एजेंसियों की 02 वर्षों के लिए पैनेल तैयार किया जाएगा। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेंसियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो में पैनेल के एजेंसियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
14	विज्ञापन एजेंसी को मीडिया की सूची एवं साइज़ सहित शहर/ ब्लॉक अनुसार देना होगा जिसके लिए सूची अनुसार अक्षांश/ देशांश वाली फोटो की छायाप्रति टेक्निकल बिड में ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कार्यदिश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
16	सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बंधित एजेंसी की होगी।
17	विज्ञापन एजेंसी को उक्त चौक चौराहों पर स्वयं के स्वामित्व दर्शाने के लिए साक्ष्य हेतु निगम/ शासन के द्वारा देय अनुमति पत्र एवं नहीं कि स्थिति में उक्त चौक चौराहों को संचालित बिजली के मीटर की चालू माह की रसीद सहित विज्ञापन एजेंसी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदनुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
19	नगर निगम/स्थायी प्रशासन में कोई टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। टैक्स बकाया नहीं होने का संबंधित निगम/प्रशासन से प्रमाण पत्र टेक्निकल बिड में जमा करना होगा।
20	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
21	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची में डाले गये एजेंसी निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में एजेंसी को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी को कहीं भी काली सुची में नहीं डाला गया है। शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉपी) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र .10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।

22	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
23	आमंत्रित दर में मीडिया/मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। बैकलिट मीडिया 250 gsm का छत्तीसगढ़ संवाद में निविदा द्वारा निर्धारित दर @28.99 प्रति वर्ग फीट (जीएसटी अतिरिक्त ) पृथक से भुगतान किया जाएगा। मीडिया/ मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, कमी पाये पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त न्यूनतम 2 से अधिकतम 10 प्रतिशत तक पेनाल्टी काटी जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
24	निविदा में प्राप्त न्यूनतम(L1 ) दर एवं L2 दर में ज्यादा अंतर होने एवं दर व्यवहारिक न होने की स्थिति में संबंधित आइटम के दर को अमान्य कर शेष अन्य दरों को स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
25	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
26	निविदा दरे निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगी आवश्यकता होने पर निविदा अवधि में वृद्धि करने या कम करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
27	जो एजेंसी प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा।
28	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कार्यदिश में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लोक लिस्टेड किया जा सकेगा।
29	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को सिग्नल/ स्केयर ब्रांडिंग(विज्ञापन बोर्ड) के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
30	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

छत्तीसगढ़ संवाद

जिला- रायपुर